प्रेस नोट- थाना साईबर क्राइम

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 23.09.2026

साइबर ठगी में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई, ₹22 लाख की धोखाधड़ी में ₹10.88 लाख की धनराशि कराई गई होल्ड।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जनपद में साइबर अपराधों में Golden Hour की महत्ता को समझते हुए इस अवधि के दौरान की जाने वाली समस्त आवश्यक कार्यवाहियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक धनराशि फ्रीज कराकर पीड़ितों को वापस दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार तथा श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, शाहजहाँपुर एवं श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम, जनपद शाहजहाँपुर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक की ₹10,88,000/- की धनराशि होल्ड कराई गई है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2026 को प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री सोहन लाल सक्सेना, उम्र 70 वर्ष, निवासी मो0 म0न0 143, ताजू खेल, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से स्वयं को पुलिस/अन्य अधिकारी बताते हुए उनके आधार कार्ड से सम्बन्धित बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन होने की बात कहकर भयभीत किया गया तथा लगातार फोन पर संपर्क में रखते हुए डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसा माहौल बनाया गया। इसके बाद आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि स्थानान्तरित करा ली गई। प्रार्थी के अनुसार दिनांक 19.09.2026 को ₹12 लाख, दिनांक 21.09.2026 को ₹6.50 लाख एवं ₹3.50 लाख, इस प्रकार कुल ₹22 लाख की धनराशि साइबर ठगों द्वारा धोखाधड़ी से स्थानान्तरित करा ली गई। इसके उपरान्त दिनांक 22.09.2026 को पुनः साइबर ठगों द्वारा प्रार्थी से ₹14 लाख की मांग की जा रही थी। उक्त प्रकरण में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0-13/2026, धारा 318(4) BNS एवं 66(D) IT Act बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में प्रयुक्त/संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए खातों को होल्ड/फ्रीज कराया गया। प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप 02 बैंक खातों में कुल ₹10,88,000/- की धनराशि होल्ड कराई गई है। प्रकरण में शेष धनराशि की रिकवरी तथा अन्य संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

शाहजहाँपुर पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि पुलिस/सीबीआई/ईडी/अन्य सरकारी अधिकारी बनकर फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से भयभीत करने तथा डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर बैंक खाते/ओटीपी/व्यक्तिगत जानकारी अथवा धनराशि की मांग करने वाले व्यक्तियों के झांसे में न आएं। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को दें।

जागरूक रहें - सतर्क रहें - साइबर अपराध से सुरक्षित रहें ।
साइबर अपराध होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करें अथवा अपनी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराएं।